

अनुदान संख्या 42 - राज्यों को अंतरण
GRANT No. 42 - TRANSFERS TO STATES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	192108,00,00	172759,67,99	-19348,32,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			19348,32,01
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	43132,00,00		
		43132,01,00	17594,96,73	-25537,04,27
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			25537,10,65
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित—	Charged-			
मूल	Original	32380,00,00		
		32380,01,00	28188,00,53	-4192,00,47
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4192,00,47
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	100000,01,00		
		100000,02,00	81195,34,62	-18804,67,38
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			18804,67,38

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head: -

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
---------------------------------------	--	------------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments
मू.	O. 19210800.00
पु.	R. -1934832.01

17275967.99	17275967.99	..
-------------	-------------	----

(I) "वित्त आयोग अनुदान" के अंतर्गत — बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(I) Under "Finance Commission Grants"- savings occurred under the following heads: -

(का) "ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान — ग्रामीण निकायों को अनुदान (राज्य)" — ₹93525.08 लाख की बचत (₹4651300.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में); और

(A) "Grants for Rural Local Bodies - Rural Bodies Grants (States)" - saving of ₹93525.08 lakhs (against the sanctioned *appropriation* of ₹4651300.00 lakhs); and

(खा) "शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान — स्थानीय निकायों को अनुदान (राज्य)" — ₹512875.00 लाख की बचत (₹2290800.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में)।

(B) "Grants for Urban Local Bodies - Urban Bodies Grants (States)" - saving of ₹512875.00 lakhs (against the sanctioned *appropriation* of ₹2290800.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने और कुछ राज्यों के नॉडीय मंत्रालयों से सिफारिशें प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-fulfilment of Fifteenth Finance Commission stipulated conditions and non-receipt of recommendations from the Nodal Ministries for some States.

(गा) "राज्य आपदा अनुक्रिया सहायता अनुदान निधि — राज्य आपदा अनुक्रिया निधि अनुदान (राज्य)" — ₹224240.00 लाख की बचत (₹1863520.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की

(C) "Grants in Aid for State Disaster Response Fund - State Disaster Response Fund Grants (States)" - saving of ₹224240.00 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) नोडीय मंत्रालय से निधियां जारी करने की सिफारिश नहीं प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) “सामान्य (प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत) – आपदा शमन – राज्य आपदा शमन निधि (राज्य)” – ₹115880.00 लाख की बचत (₹465880.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(डा) “स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान”–

(क) “प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों के लिए निदान अवसंरचना हेतु सहायता”– ₹242934.58 लाख की बचत (₹347842.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(ख) “ब्लाक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाईयां”– ₹67603.92 लाख की बचत (₹99420.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(ग) “शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (शहरों के लिए)”– ₹365129.23 लाख की बचत (₹452480.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(घ) “भवन रहित उप केंद्र, पीएचसी. सीएचसी (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)” – ₹119560.32 लाख की बचत (₹134995.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(ड) “ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी और उप केंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में बदलना (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)” – ₹193083.88 लाख का विनियोग (₹284463.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण राज्यों को कम निधियां जारी करने के बाबत हुई।

appropriation of ₹1863520.00 lakhs) was due to non-receipt of recommendations for release of funds from the Nodal Ministry.

(D) “General (relief on Account of Natural Calamities) - Disaster Mitigation - State Disaster Mitigation Fund Grants (States)” - saving of ₹115880.00 lakhs (against the sanctioned *appropriation of ₹465880.00 lakhs*) was due to non-receipt of proposals from the States and reduction of provision at revised estimates stage.

(E) “Grants for Health Sector” -

(a) “Support for Diagnostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilities” - saving of ₹242934.58 lakhs (against the sanctioned *appropriation of ₹347842.00 lakhs*);

(b) “Block Level Public Health Units” - saving of ₹67603.92 lakhs (against the sanctioned *appropriation of ₹99420.00 lakhs*);

(c) “Urban Health and Wellness Centres (For Urban)” - saving of ₹365129.23 lakhs (against the sanctioned *appropriation of ₹452480.00 lakhs*);

(d) “Building-less Sub Centres, PHCs, CHCs, (For Rural)” - saving of ₹119560.32 lakhs (against the sanctioned *appropriation of ₹134995.00 lakhs*); and

(e) “Conversion of Rural PHCs and Sub Centres into Health and Wellness Centres (For Rural)” - saving of ₹193083.88 lakhs (against the sanctioned *appropriation of ₹284463.00 lakhs*).

Savings under the above five heads were due to release of less funds to States owing to non-compliance of the stipulated conditions.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में अभ्यर्पित की गई राशि (₹2553710.65 लाख) ₹2553704.27 लाख की समग्र बचतों से अधिक थी।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹2553710.65 lakhs) exceeded the overall savings of ₹2553704.27 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

Savings/excess occurred under the following major heads: -

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक बचत + Excess + बचत- Saving -
------------------------------	--	--

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head					
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	500000.00	95996.93	95996.93	
पु.	R.	-404003.07			..
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities				
मू.	O.	1680800.00	966582.98	966589.36	
पू.	S.	1.00			+6.38
पु.	R.	-714218.02			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2132400.00	696910.44	696910.44	
पु.	R.	-1435489.56			..

(I) ₹260200.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “3601” – “वित्त आयोग अनुदान – सामान्य (प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत) – आपदा शमन – राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से राज्य को सहायता (राज्यों)” के अंतर्गत एक मामले में निधियां जारी करने के लिए नोडल मंत्रालय से सिफारिशें प्राप्त नहीं होने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2210” – “सामान्य – अन्य व्यय – कोविड-19 टीकाकरण के लिए सहायता” के अंतर्गत – ₹404003.07 लाख की बचत (₹500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यापक टीकाकरण कवरेज के कारण कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2245” – “सामान्य – राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से राज्यों को सहायता – गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता” के अंतर्गत – ₹874210.64 लाख की बचत (₹1040800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को कम सहायता की आवश्यकता के कारण संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – विशेष सहायता (राज्य)” के अंतर्गत – ₹1272876.70 लाख की बचत (₹1500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से निधियां जारी करने के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹159999.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मार्च, 2023 में मुख्य शीर्ष “2245” – “सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरण” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) Provision of ₹260200.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head “3601” - “Finance Commission Grants - General (relief on Account of Natural Calamities) - Disaster Mitigation - Assistance to State from National Disaster Mitigation Fund (States)” - due to non-receipt of recommendations for release of funds from the Nodal Ministry.

(II) Under Major Head “2210” - “General - Other expenditure - Support for COVID-19 Vaccination” - saving of ₹404003.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of COVID-19 vaccination owing to wide vaccination coverage.

(III) Under Major Head “2245” - “General-Assistance to States from National Disaster Response Fund-Assistance to States from NDRF for calamities of severe nature” - saving of ₹874210.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1040800.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to requirement of less assistance to State Governments.

(IV) Under Major Head “3601” - “Other Transfer/Grants to States-Special Assistance-Special Assistance (States)” - saving of ₹1272876.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for release of funds from States.

3.(I). The above savings were partly (₹159999.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2023 under Major Head “2245” - “General - Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Transfer to National Disaster Response Fund”.

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान” के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुए ₹97587.14 लाख के अधिक व्यय (₹372200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “7601”	Major Head “7601”	
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to State Governments	
मू.	O.	3238000.00
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-419200.47

(I) “एक मामले में राज्यों को ऋण – राष्ट्रीय आपदाओं से राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (राज्य)” के अंतर्गत ₹ 10000.00 लाख का विनियोग राज्यों से सहायता अग्रिम के लिए अनुरोध नहीं मिलने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) “राज्यों को अन्य ऋण – ब्लाक ऋण – विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता (बैक टू बैक)” – ₹425658.13 लाख की बचत (₹3193000.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) आर्थिक कार्य विभाग (डी ई

(II) Savings were also offset by excess under the Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Grants for Centrally Sponsored Schemes” - excess of ₹97587.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹372200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Externally Aided Projects Grants under Centrally Sponsored Schemes.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following head :-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

(I) *Appropriation* of ₹10000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under “Other Loans to States - Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities - Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities (States)” - due to non-receipt of requests for advance assistance from States.

(II) Under “Other Loans to States-Block Loans-Additional Central Assistance for externally aided projects (Back to Back)” - saving of ₹425658.13 lakhs (against the sanctioned *appropriation* of ₹3193000.00

ए) में सहायता, लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक (सी ए ए एंड ए) से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹ 16457.66 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मार्च 2023 में मुख्य शीर्ष “7601” – “राज्यों को अन्य ऋण- ब्लाक ऋण – विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता (ब्लाक ऋण)” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक विनियोग प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

lakhs) was due to receipt of less proposals from the Controller of Aid, Accounts and Audit (CAA&A) in Department of Economic Affairs (DEA).

5. The above savings were partly (₹16457.66 lakhs) utilized for augmenting the appropriation by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary appropriation of ₹ 1.00 lakh in March, 2023 under Major Head “7601” - “Other Loans to States - Block Loans - Additional Central Assistance for externally aided projects (Block Loan)”.

6. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	---

शीर्ष Head		
मुख्य शीर्ष “7601” राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Major Head “7601” Loans and Advances to State Governments	
मू.	O.	10000001.00
पु.	R.	-1880466.38

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “7601” – “राज्यों को अन्य ऋण – ब्लाक ऋण – राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए ऋण के रूप में विशेष सहायता” के लिए योजना के अंतर्गत – ₹1880465.38 लाख की बचत (₹10000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹2.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023) remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under Major Head “7601” - “Other Loans to States - Block Loans - Scheme for Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure” - saving of ₹1880465.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

7. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ):-

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) का गठन गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामले में तत्काल राहत की सुविधा के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई थी। चक्रवात, सूखे, भूकंप, अग्नि कांड, खाद्य, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, अवलांच, बादल फटने और कीटों के हमले जिन्हें भारत सरकार द्वारा गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के रूप में माना जाता है, ऐसे मामले में जहां किसी राज्य सरकार द्वारा स्वयं राज्य की आपदा अनुक्रिया निधि (एस डी आर एफ) में उपलब्ध शेष राशि से अधिक राशि की आवश्यकता हो, उन्हें एन डी आर एफ से तत्काल राहत सहायता के पात्र समझा जायेगा।

वर्ष 2022-23 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार है :-

7. National Disaster Response Fund (NDRF):-

National Disaster Response Fund (NDRF) is a Fund constituted under section 46 of the Disaster Management Act, 2005, to facilitate immediate relief in case of calamities of severe nature, Natural calamities of cyclone, drought, earthquake, fire, food, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst and pest attack considered to be of severe nature by Government of India and requiring expenditure by a State Government in excess of the balances available in its own State Disaster Response Fund (SDRF), will qualify for immediate relief assistance from NDRF.

The Account of the Fund for 2022-23 was as follows: -

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	6,54,33
प्राप्तियां	Receipts	8000,49,15
संवितरण	Disbursements	1667,27,48
अंतशेष	Closing Balance	6339,76,00